न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज 261/14 U/S 88, 188 RTA
25-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 21-5-18 को पेश हो। [illegible]
21.05.2018	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही राजस्व लोक अदालत की भावना से बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 किता–तीन व साक्ष्य वादीगण में पेश शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 500 से 508 कुल किता 9 कुल रकबा 8.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 418 से 420 कुल किता 3 कुल रकबा 2.45 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 291, 378 कुल किता 2 कुल रकबा 2.67 हैक्टर तन् ग्राम जसवंतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है। उक्त भूमियों का बाहमी बंटवारा पूर्व में ही हो गया था। पारिवारिक सैटलमेन्ट व बाहमी बंटवारें के अनुसार वादीगण के कृषि भूमि खसरा नम्बर 420 रकबा 0.75 हैक्टर सम्पूर्ण बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 1.20 हैक्टर बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण नम्बर 8 व 9 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 1.47 हैक्टर बहिस्सा बराबर हक हिस्से व अधिकार में आई हुई थी। जिस पर उक्तानुसार काबिज काश्त होकर अलग–अलग सीमायें कायम कर मौके पर काश्त करते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 500 से 508 कुल किता 9 कुल रकबा 8.92 हैक्टर भूमियों के 1/4 हिस्से की खातेदारी जो मृत्तक धोंकल, रामदेव, सुरजा के नाम अंकित है। उक्त 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण [illegible]

Scanned by CamScanner

में 1 / 12 हिस्सा वादीगण के बहिस्सा बराबर एंव 1 / 12 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के बहिस्सा बराबर व 1 / 12 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 8 व 9 के बहिस्सा बराबर हक हिस्से में आया हुआ है तथा उसी अनुसार मौके पर शांतिपूर्वक अपने–अपने हक हिस्सा व अधिकार व बाह्मी बंटवारे के अनुसार आयी भूमियों पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। बाह्मी बंटवारे में आई भूमियों को अपने नाम दर्ज कराने हेतु वादपत्र पेश किया गया है। वादपत्र के साक्ष्य में वादी बनवारी का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र, वादी गवाह में राजूराम, जगनसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण राजस्व लोक अदालत में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम जसवन्तपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 420 रकबा 0.75 हैक्टर सम्पूर्ण बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से मृत्तक मुरली, रामनाथ, छोटी, धूंकल, रूड़मल का नाम हजफ किया जाता है तथा शेष खसरा नम्बर की खातेदारी यथावत रखी जावे। इसी प्रकार प्रतिवादीगण न. 1 ता 4 को कृषि भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 1.20 हैक्टर बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से मृत्तक धोंकल, रामदेव, सुरजा का नाम हजफ किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण 8 व 9 को कृषि भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 1.47 हैक्टर बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से मृत्तक धोंकल, रामदेव, सुरजा का नाम हजफ किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 500 से 508 कुल किता 9 कुल रकबा 8.92 हैक्टर तन् ग्राम जसवन्तपुरा

Gm-

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

4/c 88.1484

बनवारी बनाम् फूलचन्द वगै0
दावा मुकदमा नम्बर 261/14

तहसील श्रीमाधोपुर के 1/4 हिस्से की खातेदारी जो मृत्तक धोकल, रामदेव, सुरजा के नाम अंकित है। उक्त 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण में 1/12 हिस्से का वादीगण को बहिस्सा बराबर एंव 1/12 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर व 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 8 व 9 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से मृत्तक धोंकल, रामदेव, सुरजा का नाम हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त खसरा नम्बरान् में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की क़ार्यवाही की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by CamScanner